फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गंगाराम | बनाम | विपक्षी : श्री बालुलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | पत्रावली संख्या : 39/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 09.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 6 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत: अनुपस्थित रहने पर विपक्षी सख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी सख्या 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिस पर सभी सह खातेदार अपने-अपने वर्णित हक हिस्से अनुसार काश्त करते हुये उसका निरन्तर व निराबाध उपयोग उपभोग कर रहें है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख मे सामलाती खातेदारी से दर्ज है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का कानूनी रूप से बंटवाडा नही हुआ है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 5 अपने हिस्से से अधिक भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहे।

प्रकरण मे प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का हित निहीत हैं। विपक्षी संख्या 1 से 5 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि परिशिष्ट (क) व (ख) मे खातेदार माना पुत्र कना का वारिसान बताया है। खातेदार माना पुत्र कना फौत होना बताया है। परिशिष्ट (ग) मे विपक्षी संख्या 1 से 5 खातेदार हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती खातेदारी से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद बटवाडे का पेश किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा कि विपक्षी सख्या 1 से 5 प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं जिससे मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित समझते है जिससे किसी प्रकार के मौके एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अत: प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपरोक्त तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा रायला पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 23 की आराजी नम्बर 378, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 408, 409, 410, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 किता 40 रकबा 7.1300 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 64 की आराजी नम्बर 276, 362, 363, 364, 372, 381, 388, 448, 457, 458, 459, 468, 471, 472, 476, 477 किता 16 रकबा 1.6700 हैक्टयर भूमि व परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 5 की आराजी नम्बर 415, 421, 422 किता 3 रकबा 0.9400 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested